

नव्य प्रदेश राज्य
बन किंवद्दि
मंत्रालय, बर्तला पक्का, भोपाल

॥ बादेश ॥

भोपाल दिनांक/5 दिसम्बर, २००५

क्रमांक एक ३-३४।२००४।१०-१ राज्य रासन स्तर व्यारा और एम पी तामार, बन होवेगा तो स्थानापन्न रूप से जागांची बादेश तक आयोग गुहण बनेंगे ऐसे विनांक से राज्य बन सेवा के विनाई अधिकारी बेतनपान ६५००-२७२-२२२०० में पदोन्नत रूप से दूसरे पहाड़ा ने संरक्षण उप कर मण्टल देवसर(राज०) बन मण्टल पूर्वी सीधी के पद पर पदरथ किया जाता है।

२- उम्मीदवात पदोन्नत मध्यप्रदेश तिकिल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम १९६१ के अंतर्गत दो बड़ी की परीक्षण बचपि के लिए होगी।

३- ब्रिटाणिया किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (बनुसूचित जातियों, बनुसूचित जनजातियों और पिछड़े बगों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४(क्रमांक २१ सन् १९८४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम २००२ के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रवाह में राज्य सरकार व्यारा बारी किस गए बनुदेशों का पालन किया गया है।

४- यह पदस्थापना बादेश दिनांक १-१-२००६ से प्रभावशाली रहेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
बादेशानुसार,

(.मीनाहा प्रालीया)
बवर सचिव
म०प्र०जासन, बन किंवद्दि
भोपाल दिनांक/5 दिसम्बर, २००५



प्रतिलिपि:-

१- विज्ञोषा सहाया, मान० मंतीजी, बन।

प्रधान मुख्य बन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

बपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक(प्रशासनराज०) एवं(प्रशासनराज०)
चतुर्पुर्णा भवन, भोपाल।

क्रमशः

अ.राज०)

11/2

- ४८
- ४- दंदंचित वन संरक्षण, वन वृत्ति
 ५- वन मण्डलाधिकारी
 ६- श्री रम धी तामार, त्वारा वपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (इसा
 राज०)

फी और सूचनार्थ एवं जाचश्यक वार्येण ही इनु अभिभाव ।

(मीनाहारी मालवीया)
 डब्बे सचिव
 म०प्र००४० वासन, वन कियाग

कोमलाय दुष्टान

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

6 II

27

2 BD

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

क्रमांक सफ 3-34/2004/10-1: राज्य शासन सतद द्वारा सर्वश्री नरेन्द्र तिंह,
वन विभाग को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के
दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13200 में
दिनांक 3 अगस्त, 2005 से पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक, नौरादेही
अभ्यारण्य, सागर के पद पर पदस्थि किया जाता है।

2/ राज्य शासन सतद द्वारा श्री आर० एस० यदुवेंशी, वन विभाग को
स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन
सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13200 में दिनांक 3 अगस्त, 2005
पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक, अनुसंधान सर्व विस्तार केन्द्र, खण्डवा के पद
पर पदस्थि किया जाता है।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम
1961 के अंतर्गत दो कर्म को परीक्षण अवधि के लिए होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकसेवा अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण्य जपिनियम, 1994 क्रमांक 21
तरु 1984। तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के उपबन्धों और उद
जपिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये
अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मीनाढ़ी मालवीय
अवर सचिव

पृष्ठांकन क्र. सफ 3-34/2004/10-1
प्रतिलिपि:-

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पश्चा० राज०। एवं प्रशा० अराज०। भोपाल।
- 4- तंबिधित वन संरक्षक, वन बूत्त

- 5- घन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार केंद्र, यण्डवा ।
 6- संबंधित घन मण्डलाधिकारी-.....
 7- संबंधित अधिकारीगण- श्री घन देवपाल
 द्वारा- अपर पृथान मुख्य घन संरक्षक प्रभाग अराज. १ भोला
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेजित ।

(Signature)
 २५/१०/४५
 ॥ मीनाक्षी मालवीय ॥
 अवर ताचिद
(Signature)
 २५/१०/४५

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
गैंडालय, वल्लभ भवन, मोपाल

✓ ① (25)
BD

:: आदेश ::

मोपाल, दिनांक 30 नितम्बर, 2005

क्रमांक सफ ३-३४/२००४/१०-।: राज्य शासन एवं दारा श्री सम. पी. मिश्रा, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार शुरू करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कर्निश्ट्रीजी वेतनमान रूपये ८०००-२७५-१३२०० में दिनांक ३ अगस्त, २००५ से पदोन्नत करते हुए तदीपि वन तंत्रज्ञ, उभरिया और उत्पादन के पद पर पदन्थ किया जाता है।

१/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश तिचिल सेवा एवं तेवा की सामान्य शर्तों नियम १९६। के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अधिक के लिए होगी।

२/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लौकतेवा एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े घर्गों के लिये जारी अधिनियम, १९९४ क्रमांक २। तरु १९८४ तथा मध्यप्रदेश लौक सेवा पदोन्नति नियम, २००२ के उपलब्धियों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त केवल सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

मीनाक्षी मालवीय

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कृष्णांकन क्र. सफ ३-३४/२००४/१०-। मोपाल, दिनांक 30 नितम्बर, 2005
प्रतिलिपि:-

- १/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
- २/ प्रधान मुख्य वन तंत्रज्ञ, मध्यप्रदेश मोपाल।
- ३/ अपर प्रधान मुख्य वन तंत्रज्ञ प्रशा. राज. एवं प्रशा. अराज. मोपाल।
- ४/ वन तंत्रज्ञ, रीवा/शहडोल वन वृत्त।
- ५/ वन मंडल अधिकारी, संताना/शहडोल नृतान्यवन मंडल।
- ६/ संबंधित अधिकारी- श्री सम. पी. मिश्रा
दारा- अपर प्रधान मुख्य वन तंत्रज्ञ प्रशा. अराज. मोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मीनाक्षी मालवीय
अवर सचिव

गृह्यपूर्ण शासन
एवं विधान
मीटिंग, बाराता शासन, मौज़ापाला

24

११ अप्रैल ११

गौमाल, दिनांक ३० अप्रैल, २००३

पुष्टीक एक ३-३४/२००४/१०-१: राज्य शासन संघ द्वारा व्री. आर. पी. चिपाठी,
एवं गृह्यपाल को स्थानावयन रूप में आगामी अदिता तक लार्यार शृणु फैने के
दिनांक से राज्य एवं लैण्ड एवं फॉर्म्युले ऐसान्मान रूपये ८०००-२७३-१३२०० में
पदोन्नत करते हुए लार्यार प्रधान गुरुव्य एवं संस्थान, गृह्यपूर्ण, गौमाल परहर लिया
शासन है।

२/ उपर्युक्त पदोन्नति गृह्यपूर्ण लिया रेता द्वितीय ली. गांधी निमा
१९६१ के अंगित को कई की पदोन्नत अप्रिपे दिये गये हैं।

३/ गृह्यपूर्ण लिया रेता है कि गृह्यपूर्ण कोलोवा।उम्हुपिया वा लिया,
उम्हुपिया जग्मारियों और पिछे पर्नों के लिये आख्याय अपिनियम, १९९६। [उपर्युक्त
२१ अग्र १९८४] तथा गृह्यपूर्ण कोलोवा।पदोन्नतिय निमा, २००२ हे उपर्युक्त और
उरा अपिनियम तथा नियमों के उपर्युक्तों के प्रकार में राज्य लार्यार द्वारा वारी
किये गये उपर्युक्तों का पालन किया जाए।

गृह्यपूर्ण के राज्यपाल के नाम है
तथा अदिता गृह्यपूर्ण
हैं।

बृं बोनार्थी मातवीय ॥
अपर लधिय

गृह्यपूर्ण शासन, एवं लिया

पुष्टीक एक ३-३४/२००४/१०-१, गौमाल, दिनांक ३० अप्रैल, २००३
गृहिणियों-

- १- लियों लार्यार, भानसीय भौतिकी, एवं ।
- २- प्रधान मुख्य एवं संस्थान, गृह्यपूर्ण, गौमाल ।
- ३- अपर प्रधान मुख्य एवं संस्थान, राज. २१ एवं १९९६, अदान. २१, गौमाल ।
- ४- लियों एवं संस्थान, गृह्यपूर्ण, गौमाल ।
- ५- लियों एवं संस्थान, गृह्यपूर्ण, गौमाल ।
- ६- लियों एवं संस्थान, गृह्यपूर्ण, गौमाल ।

लारा- अपर प्रधान हुए पर्न लार्यार अदान, गृह्यपूर्ण
को और गृह्यपूर्ण एवं अपिनियम लार्यारी हेतु उप्रिया ।

गृह्यपूर्ण शासन, एवं लिया

22

कर्ता पालेश शर्मा
पनि लिपाये
मंत्रीनगर, बड़हलाहा मण्डल, गोपालगढ़

// आदेश //

गोपालगढ़, दिनांक-३ अगस्त, २००५

क्रमांक १०७.३-३४/२००४/१०-१: राज्य शासन एप्पद्वारा विनाकित चन दोप्राताला ने रखानामन रूप ये आवासी अधिकारी का योग्यतार प्रहृण करने ये दिनांक ये राज्य चन रोचा के बनिष्ठ थ्रेणी वेनमान रु ८,०००-२७५-१३,२०० में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के राष्ट्रीय दरार्द यथे पद दा पदरथ करता है:-

लाइ	आविकारी का नाम	दर्दमान पन्दरणामना	पालेशी उभरान्त नामीन पन्दरणामना
१५	श्री पूर्णी राज तुरे	प०३० छुट (राठ), पूर्ण छिन्दवाडा (राठ) प०गं०	सहायक चन संस्कार, रंजने कालाड सालाहाडा पदोन्नति ले दृष्टि
१७	श्री आर० के० तिवारी	विश्व चतुर्य फूर्ण छिन्दवाडा (राठ) प०गं०	उप प०गं०३० वेहर (उत्पाठ), व०गं० उत्तर नालाहाडा (उत्पाठ)
२०	३ श्री एम० पी० रिहं	प०३० अमरगाठन (राठ), राजना (राठ) प०गं०	सहायक चन संस्कार, प०गं० पालेश रकाल, राजना
२३	४ श्री एम० पी० संगपाल	प०३० प्रियंतर (राठ), विनमुरा (राठ) प०गं०	सालमन आधिकारी, शहदाल वृत्त कार्यालय
१०	५ श्री एम० पी० शुभला	प०३० गोरक्षी (राठ), पूर्ण रोधी (राठ) व०गं०	उप प्रकाशन, लघु कामिनी राज (प्रतिभियुक्ति पर)
२५	६ श्री ए०क० खरे	अनुराधान एवं विस्तार कन्द रिवनी	सहायक चन संस्कार, व०गं० सालमन
६	७ श्री ढी० शी० व्यासा	कर्य आधोजना उज्जेन	सहायक चन संस्कार, प०व च००० (छिन्दवाडा)
२२	८ श्री गो० एन० घोटे	प०३० रासार (उत्पाठ), छिन्दवाडा (उत्पाठ) व०गं०	उप च०गं०३० ख्यासा (उत्पाठ), व०गं० दण्डन रिवनी (उत्पाठ)
१६	९ श्री आर० के० शीयारत्नम्	प०३० रासई (राठ), पूर्ण रोधी (राठ) व०गं०	सालमन आधिकारी, रामगं वृत्त कार्यालय
२१	१० श्री ढी० के० त्रिपाठी	अनुराधान एवं विस्तार कन्द घार	सहायक चन संस्कार, अनुराधान एवं विस्तार केन्द्र व्यालियर
११	११ श्री एम० एस० दीन	अनुराधान एवं विस्तार कन्द झानुआ	अधीकारी, दीर्घी अग्यारण्य होशंगाबाद (राठ) व०गं०
१०	१२ श्री राधवेन्द्र रिहं	प०३० गहराजपुर (साठ), पारेचम ग०गं० (राठ) प०गं०	उप प०गं०३० पूर्ण कालीगोत (राठ), प०गं० खण्डगा (राठ)
५	१३ श्री दी० आर० गवाडे	प०३० सित्तोवानी (राठ), दाक्षिण छिन्दवाडा (राठ) व०गं०	सहायक चन संस्कार, एन्टी पोनेम रवगाड, रामगं
२३	१४ श्री योगेश तिवारी	दीर्घ रेल लाइन्स एवं टाइपर रेजर रिवनी	अर्थशास्त्राधीशापद लक्ष्माराम, वदस्तीर साठ व०गं०
१०	१५ श्री के० शी० राकर्णा	छिपा तेन्दुलोडा, रगोड (राठ) व०गं०	सहायक संगालाड, संवालक संजग साठ० रीमी
१४	१६ श्री दी० के० रावत	प०३० पूर्ण (उत्पाठ), रातार रिवनी (उत्पाठ) व०गं०	उप ग०गं०३० दीननामक (राठ), प०गं० दीननामक (राठ)
६	१७ श्री शी० पी० शार्मा	प०३० शहदुरा (राठ), छिन्दवाडी (राठ) व०गं०	उप च०गं०३० छिन्दवाडा (उत्पाठ), प०गं० छिन्दवाडा (उत्पाठ)
१३	१८ श्री दी० पी० सरे	दासु चनोपन राम (पालीगेल्लिका पर)	उप प्रकाशन, लघु कामिनी राम (प्रतिभियुक्ति पर)

R

नंबर	आधिकारी का नाम	पत्रकाल अदरखण्डना	पत्रेनाति रापरान्त नामोन प्रदर्शन-
13	श्री नवदीप यादव	प्रियंक कर्तवी आधिकारी इन्वीर (राठ) यांगो	या गुरुवार चक्रवा (राठ), गुरुवा उत्तर यालापाट (राठ)
14	श्री ए०व० जौन	प०उ० जौन (राठ), बुद्धीर (राठ) प०उ०	राहायक यन संस्कार, आधिकारिक शांति, ग०उ० ग०उ० (प्रतिनियुक्ति पर)
15	श्री ए०व० तुमे	प०उ० पहाड़गढ़ (राठ), गुरेना (राठ) यांगो	उप य०ग०उ० दत्तिया (राठ), य०ग० दत्तिया (राठ)
16	श्री ए० कैठ उजारी	अनुराधान विरतार केन्द्र, जगलापुर	राहायक यन रांरथान, अनुराधान एवं विरतार केन्द्र, छत्तेपुर
17	श्री कै० गौ० तिवारी	प०उ० चनापुरा (राठ), होशंगावाद (राठ) य०ग०	सहायक यन रांरथान, राजय यन अनुराधान रांरथान, जगलापुर (प्रतिनियुक्ति पर)
18	श्री ए८० कै० भुज्ञा	गैंग रेज भोज, रांजय टायगर रिजर्व	राहायक यन रांरथाक, अनुराधान एवं विरतार केन्द्र होशंगावाद

2 उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश रिप्रिल रोवा (रोवा की रागान्त्र शर्त) नियम, 1961 के अंतर्गत यो वर्ष का परिवार अवधि के लिये होगी।

3 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोकरोवा (अनुरूचित जनजातियों, अनुरूचित जनजातियों और शिख वर्गों के लिये आराधण) अधिनियम, 1994 (दिनांक 21 रान् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2000 के उपर्युक्तों और उभा अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्तों के प्रकाश में राज्य-रारकार द्वारा जारी किये गये अनुदेश ना पालन किया गया है।

गृह्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
उत्तर आदेश-नुसार,

(डी.डी. अश्वाल) १५७

उप राजिय,

गृह्य प्रदेश शारान, यन विभाग

पृष्ठांनुसारक-३-३४ / २००४ / १०--१

भोपाल, दिनांक-३ अगस्त, 2005

प्रतिलिपि- रूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाली हेतु अधेवित-

- 1 माननीय यन गंत्री जी / राज्य गंत्रीजी, यन के पिशेष रांरथाक।
- 2 आपर गुरुख राजिय, नर्मदा धाटी विकारा विभाग/ उपाध्याल, नर्मदा धाटी विकारा ग्रामिक।
- 3 प्रधान गुरुख यन संस्कार, मध्यप्रदेश, रातपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4 प्रधान गुरुख यन रांरथाक (वन्य ग्राणी), भोपाल।
- 5 प्रवेष रांरथाक, गृह्य प्रदेश राज्य यन विकारा विभाग भोपाल।
- 6 प्रवेष रांरथालम, गृह्य प्रदेश राज्य लालू गंवेपज, रांप भोपाल।
- 7 गृह्योखागार, गृह्य प्रदेश, राजियर।
- 8 संस्कित यन संस्कार/ यनगंडलाविवरीगण।
- 9 संस्कित अधिकारीगण।
- 10 रायुक्त रांरथाक, यन रांपक प्रबोल, गंवालन, भोपाल।
- 11 लग्निशुख राहायक, यन विभाग संका-१, २, ३ एवं ५।

R-1

उप राजिय,
गृह्य प्रदेश शारान
यन विभाग

મધ્યપુરેશ શારન, વન વિભાગ મંત્રાલય, વલલમ ભવન

1 219A

// આદેશ //

भौपाल, दिनांक /02/2005

कृत्तिक एफ-03/127/2004/10-1 : राज्य शातन द्वारा श्री अ०. प०. शर्मा,
वनदेशपाल को उनसे कानिष्ठ श्री ए.पे. मिश्रा की पदोन्नति चिनांक
 08 अगस्त 2003 से सहायक पन सरंक्ष के कानिष्ठ पेतनमान रूपये 8000-275
 13500 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कर
 नियुक्त किया जाता है तथा आगामी आदेश तक अनुदेशक, वन विधालय अमरकटक
 के पद पर पदव्युत्त किया जाता है ।

मध्यपुर्देशी लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के अधीन सुविधा निर्मित करने हेतु नियमित रोल्टर के अनुतार पदोन्नति की प्रविष्टि रोल्टर पंजी में कर दो गई है।

2/ पुस्तकिया जाता है कि म.पु.लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों सर्व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 तथा म.पु.लोक सेवा अपदेान्नति नियम 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के पुँजा में राज्य प्रगति द्वारा जारी किये गये आदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उपर नियम को पारा-6 की उपधारा 1 के उपबन्धों का संदर्भ है।

ਮध्यपुरो के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशनुतार
दृक्षतः

डॉ. के. के. यादव

महायादेश भारत, वैन विभाग

भोपाल दिनांक ५ फरवरी ०५

पृष्ठा ३० दस्तावेज़ ३/१२७/२००४/१०-१

पृतिलिपि-

01. संविध, म. पु. लोक शेषा ज्ञायोग, इंदौर को और बनदेवपाल से सहायक तरंगक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति को बैठक दिनांक २५.०३.०३ के संदर्भ में शुरूनार्थ ।

✓02.

प्रधान मुख्य वन तरंधक, र. प. भोपाल

अपर प्राप्ति अनुसार संक्षेप, प्राप्ति/राजी/म. व. त. प्राप्ति/राजी भोपाल

०४.

वन लरंधक इंदौर/शहडोल / म.पु. ।

०५.

वन मंडला धिकारी, इंदौर/शहडोल / म.पु. ।

०६.

संस्थित अधिकारी श्री आ॒. प॒. शार्मा, वनक्षेत्रपाल को जोर पालनाथ
कृपया आप अपनी नवीन पदस्थापना पर तत्काल कार्यभार ग्रहण के।

०७.

विशेष सहायक, मा॒. मंत्रीजी वन विभाग,

०८.

स्टाक फाईल

१२१२
डॉ. के. के. यादव
अलरत्नपि
मध्यपुरेश शासन, वन विभाग